

### सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत मुहम्मदाबाद गोहना-मऊ के सीमा अन्तर्गत आने वाले समस्त टैक्सी स्टैण्डों व पार्किंग शुल्क की वसूली वर्ष 2017-18 तक के लिए दिनांक 28.03.2017 को समय 1:00 बजे दिन में नीलामी की बोली की कार्यवाही नगर पंचायत कार्यालय मुहम्मदाबाद गोहना-मऊ पर सम्पन्न करायी जायेगी। इस नीलामी की कार्यवाही में जो लोग भाग लेना चाहें निर्धारित तिथि व स्थान पर उपस्थित होकर भाग ले सकते हैं। बोली को स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार बिना कारण बताये नीलामी अधिकारी, नगर पंचायत मुहम्मदाबाद गोहना, मऊ में निहित होगा। नीलामी की शर्त व अन्य किसी जानकारी के लिए नगर पंचायत कार्यालय में कार्य दिवस में सम्पर्क कर किया जा सकता है।

#### नीलामी की शर्तें

1. नगर पंचायत मुहम्मदाबाद गोहना के टैक्सी स्टैण्ड/पार्किंग शुल्क वसूली करने हेतु वर्ष 2017-18 के नीलामी बोली में वही व्यक्ति भाग ले सकता है, जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो।
2. नीलामी बोली बोलने के पूर्व नगर पंचायत के खाता सं०- 11161195517 स्टेट बैंक मुहम्मदाबाद गोहना, मऊ में धरोहर धनराशि के रूप में एक लाख रुपये जमा कर चालान की मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
3. नगर पंचायत मुहम्मदाबाद गोहना-मऊ का कोई बकायेदार नीलामी बोली में भाग नहीं ले सकता है।
4. नीलामी बोली में वही व्यक्ति भाग ले सकता है, जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र, जो दो वर्ष के अन्दर का निर्गत किया गया हो तथा कम से कम 15 लाख रु० तक का हो और बोली बोलने से पूर्व कार्यालय में जमा करना होगा।
5. नीलामी बोली में वही व्यक्ति भाग ले सकता है, जो जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र जारी कर प्रदत्त किया गया हो, जो दो वर्ष के अन्दर का निर्गत हो और बोली बोलने से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।
6. नीलामी बोली में जो व्यक्ति/ठीकेदार सबसे उच्च बोली बोलकर नीलामी लेने से इन्कार/छोड़ देता है तो उसकी जमा जमानत/धरोहर धनराशि नगर पंचायत के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
7. नीलामी बोली में सबसे अधिकतम बोलीदाता द्वारा नीलामी बोली की सम्पूर्ण धनराशि का 1/2 भाग स्वीकृति उपरान्त नगर पंचायत कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा तथा नीलामी की शेष धनराशि को दो बराबर किस्तों में जमा करना अनिवार्य होगा। जो प्रथम किस्त माह जुलाई, 2017 के अन्तिम सप्ताह में जमा करना होगा तथा द्वितीय किस्त की धनराशि माह दिसम्बर, 2017 में जमा करना अनिवार्य होगा। ठीकेदार द्वारा जमा जमानत की धनराशि अन्तिम किस्त के साथ समायोजित की जायेगी।
8. ठीकेदार द्वारा नीलामी बोली के किस्तों की धनराशि समय से जमा न करने की दशा में नीलामी ठेका निरस्त करने की कार्यवाही कर दी जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित ठीकेदार की होगी।
9. किसी भी तरह की कोई दैवी आपदा पड़ने पर या ठीकेदार द्वारा अपनी क्षति बताये जाने पर नगर पंचायत मुहम्मदाबाद गोहना, मऊ को क्षतिपूर्ति देने की जिम्मेदारी नहीं होगी।

10. किरसी भी नीलामी बोलीदाता/ठीकेदार द्वारा नीलामी बोली बोलने पर यह समझा जायेगा कि नगर पंचायत की वसूली दर तालिका व नियमों आदि की जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त कर ली गई है ।
11. सबसे उच्च नीलामी बोलीदाता के नीलामी बोली पर स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर सम्बन्धित ठीकेदार द्वारा समस्त बोली की धनराशि पर नियमानुसार स्टैम्प शुल्क जमा कर, नगर पंचायत शर्तों के अनुसार अनुबन्ध पत्र भर कर अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा, इसके उपरान्त ही सम्बन्धित ठीकेदार को वसूली करने का अधिकार प्राप्त होगा ।
12. टैक्सी स्टैण्ड/पार्किंग शुल्क की वसूली नगर पंचायत नियमावली दर तालिका के अनुसार ही करनी होगी ।
13. नियमावली की शर्तें आदि का उल्लंघन होने पर ठीकेदार का नीलामी ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और निकाय को इस प्रकार होने वाली क्षति को ठीकेदार से भू-राजस्व बकायों की भौति वसूल की जायेगी ।
14. नगर पंचायत द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार दिये गये निर्देशों का ठीकेदार को अनुपालन करना अनिवार्य होगा ।

अधिशाली अधिकारी  
नगर पंचायत मुहम्मदाबाद गोहना  
मऊ

अध्यक्ष  
नगर पंचायत मुहम्मदाबाद गोहना  
मऊ

सं०-562(8)/दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ ।

- 1- आयुक्त महोदय, आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़ ।
- 2- जिलाधिकारी महोदय, मऊ ।
- 3- उपजिलाधिकारी, मुहम्मदाबाद गोहना, मऊ ।
- 4- क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना, मऊ ।
- 5- खण्ड विकास अधिकारी, मुहम्मदाबाद गोहना, मऊ ।
- 6- समस्त अधिशाली अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, जनपद-मऊ ।
- 7- कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
- 8- N.P.C. मऊ की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

अधिशाली अधिकारी  
नगर पंचायत मुहम्मदाबाद गोहना  
जनपद-मऊ

अध्यक्ष  
नगर पंचायत मुहम्मदाबाद गोहना  
जनपद-मऊ